क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1,फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र,भिवाडी
Email-id:robhiwadi@gmail.com Ph.01493-221435

राप्रनिम / क्षे.का. / भिवाडी / स्था / निविदा–19 / 2025–26 / 3005-3006 दिनांक: 15/10/25

बोली आमंत्रण सूचना सं0 19 / 2025–26

वित वर्ष 2025–26 के लिये क्षेत्रीय कार्यालय, रास्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा एक वाहन ग्रेप काल हेतु (सिडान / एसयूवी टाईप) किराये पर लिये जाना है। इस हेतु इच्छुक वाहन मालिकों / फर्मो / सवेंदकों से निम्नानुसार बोली आमंत्रित की जाती है।

विवरण	अनुमानित लागत (रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रूपये)	निविदा प्रपत्र विकय की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की अंतिम दिनांक व समय
वाहन (01) (टैक्सी परमिट)	01.25 लाख	2500	500	निविदा जारी होने से दिनांक 27.10. 2025 कार्यालय समयानुसार	28.10.2025 प्रातः 11:30 बजे	28.10.2025 दोपहर 12:00 बजे

नोट–

1. विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज "http:/sppp.rajasthan.gov.in पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते है।
2. निविदा प्रपत्र साईट से डाउनलोड करने पर बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डीडी / बैंकर्स चैक **Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi** के नाम से बनाकर भौतिक रुप से बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा / बोली प्रपत्र एवं इसकी शर्ते आदि कार्यालय से कार्य दिवस में निर्धारित बोली / निविदा शुल्क राशि का डी.डी. / नगद जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है।
4. **बोली प्रतिभूति राशि 2500 / – का डी.डी. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi** के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है। आरटीपीपी नियम 2013 एवं वाहन किराये पर लिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर जारी दिशा निर्देशों की पाालना करनी होगी।
6. सिडान / एसयूीवी से कम स्तर के वाहन निविदा मे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

UBN:- PCB2526SSLB00072

(अमित जुयाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा०प्र०नि०मं०, भिवाडी

राप्रनिम / क्षे.का. / भिवाडी / स्था / निविदा–19 / 2025–26 / दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईटो पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी।

15.10.25
क्षेत्रीय अधिकारी
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा०प्र०नि०मं०, भिवाडी

क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1,फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र,भिवाडी
Email-id:robhiwadi@gmail.com Ph.01493-221435

निविदा शुल्क – 500/–

निविदा प्रपत्र

किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा

निविदा सूचना संख्या 19/2025–26

क्र.सं.	विवरण	
1.	वाहन मालिक/फर्म का नाम व पता	
2.	मोबाईल नं./ ई–मेल आईडी	
3.	जीएसटी/पैन नम्बर (प्रति संलग्न करे)	
4.	जीएसटी में पंजीकरण लागू नही होने पर राशि 50 रूपये का हलफनामा एवं दो वर्ष बैलन्स शीट/आयकर विवरणी की प्रति	
5.	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का विवरण	
(a)	वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक (प्रति संलग्न करे)	
(b)	वाहन बीमा क्रमांक (प्रति संलग्न करे)	
(c)	फिटनेस प्रमाण पत्र क्रमांक (प्रति संलग्न करे)	
(d)	पीयूसी प्रमाण पत्र क्रमांक (प्रति संलग्न करे)	
(e)	वाहन चालक ड्राईविंग लाईसेंस क्रमाक (प्रति संलग्न करे)	
(f)	वाहन परमिट (प्रति संलग्न करे)	
(g)	वाहन मालिक/फर्म के बैंक खाते का विवरण (प्रति संलग्न करे)	बैंक नामः शाखाः आईएफएससी कोडः
(h)	निविदा प्रपत्र शुल्क डी.डी./नगद रसीद विवरण	डी.डी./रसीद क्रमांक डी.डी/रसीद दिनांक
(i)	बोली प्रतिभूति राशि डी.डी. विवरण	डी.डी./रसीद क्रमांक डी.डी/रसीद दिनांक
(i)	वाहन मालिक/फर्म के भिन्न होने पर	

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा

क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाडी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1,फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र,भिवाडी
Email-id:robhiwadi@gmail.com Ph.01493-221435

	फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन से सम्बन्ध / दस्तावेज यथा करार (Agreement) पत्र आदि	
6.	संदर्भः क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी की निविदा सूचना संख्या 19 / 2025–26 .... दिनांक	
7.	मैं / हम ....(फर्म / वाहन मालिक का नाम) निम्न दर पर वाहन मय चालक उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ / हैं।	

क.सं.	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम बोली राशि 1500 किलोमीटर हेतु	वाहन मालिक / फर्म / संवेदक द्वारा प्रस्तुंत दर प्रतिमाह 1500 किलोमीटर हेतु (पीओएल सहित)			वि0वि0
		वाहन का प्रकार	ऐसी / नॉन ऐसी	दर प्रतिमाह	
1.	वाहन (टैक्सी परमिट) अधिकतम 28900 / –				
	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 1500 किलोमीटर से अधिक के संचालन पर	1500 कि.मी. से अधिक की दूरी पर, अधिकतम 10 रूपये प्रति किलोमीटर, प्राप्त वित्तीय स्वीकृति तक)			
2.	अधिकतम 10 रूपये प्रति किलोमीटर	दर प्रति किलोमीटर			

उपरोक्त दरों में समस्त प्रकार के कर एवं अन्य समस्त खर्चे शामिल है।

- टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेज एवं बोर्डर टैक्स का पुनर्भरण टैक्स / चार्जेज के भुगतान की रसीद के प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
- जीएसटी निमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
- निविदा प्रपत्र में वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक 28.02.2026 तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
- वाहन का किराये पर लिये जाना, संचालन एवं भुगतान राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 19.07.2018 (समय–समय पर संशोधित) की शर्तो के अनुसार किया जावेगा।

मै / हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 19 / 2025–26 दिनांक .... में अंकित समस्त शर्तो से तथा संलग्न पत्रों में दी गई उक्त निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तो से सहमत है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

(निविदादाता / वाहन प्रदाता)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा

किराये पर वाहन हेतु निविदा की शर्ते

1. निविदा/बिड एकल प्रणाली आधार पर सीलबंद लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक व समय तक प्राप्त की जाकर उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के सामने खोली जायेगी। निविदा लिफाफे के उपर **"किराये पर वाहन कार्य हेतु निविदा"** लिखा होना चाहियें।

2. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार कार्यालय स्तर पर गठित उपापन समिति को होगा।

3. कार्यालय द्वारा वाहन क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के क्षेत्राधिकार (जिला खैरथल–तिजारा) के लिए उपयोग में लिया जावेगा। राजकार्य की आवश्यकता होने पर क्षेत्राधिकार से बाहर भी वाहन का उपयोग किया जा सकेगा।

4. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए। उपापन समिति तुलनात्मक रूप से नये मॉडल के लिए प्रयास करेगी। निविदादाता का वाहन टैक्सी पंजीकृत होना चाहिए।

5. वाहन से संबंधित समस्त कर निविदादाता/वाहन मालिक द्वारा वाहन किये जावेगे।

6. निविदादाता को सम्पूर्ण निविदा अवधि के लिए फिटनैस प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदादाता/वाहन मालिक का वाहन अनिवार्य रूप से बीमित होना आवश्यक हैं। यदि अनुबंध अवधि के मध्य में बीमा करवाने की आवश्यकता होगी तो वाहन मालिक द्वारा स्वयं के खर्चे पर बीमा करवाया जावेगा।

8. वाहन यथा सम्भव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जायेगा लेकिन जोखिम अनुमोदित निविदादाता/वाहन मालिक की ही होगी।

9. निविदादाता/वाहन मालिक को वाहन पर एक प्लेट यह उद्धत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है (ON GOVT.DUTY) उपलब्ध करवानी होगी। यह प्लेट ऐसी होगी कि इसे फ्रेम से खींचकर वाहन से हटाई जा सके वाहन के राजकीय कर्तव्य से मुक्त होते समय यह प्लेट हटाकर प्रभारी अधिकारी के संरक्षण में रखी जावेगी।

10. वाहन चालक स्वस्थ एवं स्वच्छ ड्रेस में तथा वाहन भी साफ स्वच्छ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाहन चालक का वैध ड्राईविंग लाईसेन्स, पहचान हेतु दस्तावेज यथा आधार आदि कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना होगा एवं वाहन चालक न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

11. वाहन के कर्तव्य का समय प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

12. कर्तव्य स्थल (Duty Point) से दूरी व समय की गणना की जावेगी।

13. अनुमोदित निविदादाता/वाहन मालिक यदि वाहन उपलब्ध नही कराता है तो शास्ति रू. 1000/–प्रतिदिन प्रति वाहन अधिरोपित की जावेगी तथा विभाग किराये पर अन्य वाहन ले सकता है यदि किराये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली अनुमोदित निविदादाता/वाहन मालिक से की जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

14. यदि वाहन सडक पर खडा हो जाता है तो निविदादाता/वाहन मालिक अन्य वाहन स्वय की लागत पर उपलब्ध करायेगा।

15. मरम्मत पेट्रोल डीजल ऑयल आदि व्यय वाहन के निविदादाता/वाहन मालिक द्वारा वहन किये जावेगे।

16. निविदादाता/वाहन मालिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लॉग शीट का संधारण कर प्रभारी अधिकारी को बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता/फर्म/सवेंदक को भुगतान बजट उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

17. निविदादाता/वाहन मालिक टैक्सी परमिट, बीमा, सर्विस टैक्स, फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए उत्तरदायी है।

18. वाहन चालक वाहन चलाते समय वाहन से सम्बन्धित मूल दस्तावेज अपने पास रखेगा। समस्त प्रकार के दायित्व जैसे दुर्घटना क्लैम आदि के लिए निविदादाता/वाहन मालिक जिम्मेदार होगा।

19. बोली प्रतिभूति राशि/अमानत राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी। बिना बोली प्रतिभूति राशि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी। स्वीकृत निविदादाता की आमानत राशि की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

20. निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त की जा सकती है यदि शेष/पूर्ण कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाई जाती है या अनुबन्ध नहीं करता। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है यदि कार्य संतोषप्रद नहीं करता या अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्य नहीं करता है। जमा अमानत/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

21. सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर राशि रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र निष्पादित करना होगा।

22. सभी विधिक कटौतियॉ भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जायेगी।

23. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर वाहन किराये पर लिये जाने से सम्बन्धित जारी दिशानिर्देशो के प्रावधान लागू होंगे।

24. निविदा की कुल अनुमानित राशि कम–ज्यादा हो सकती है। निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरे अंको एवं शब्दो में सभी करो सहित अंकित की जावे। जिसमें उपरीलेखन/कांट–छांट नहीं की जावे। उपरीलेखन/कांट–छांट की स्थिति में हस्ताक्षर अंकित करे।

25. किसी भी निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अधिकार कार्यालय स्तपर पर गठित उपापन समिति को होगा। वाहन की सेवाए निविदादाता/फर्म/संवेदक को 07 दिवस का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी।

26. अमानत एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। धरोहर राशि कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध समाप्ति के पश्चात लौटाई जा सकेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

27. निविदा की दरे 2025–26 के लिए (अर्थात 28.02.2026 तक) मान्य होगी एवं इस अवधि को पारस्परिक सहमति से बढाया जा सकेगा।

28. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भिवाडी (खैरथल–तिजारा) स्थित न्यायालय होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to..for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated.............................. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:......................

Signature of bidder

Palace:..................

Name:...

Designation:................................

Address:......................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary,RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

(5) **Form of Appeal**

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण
, जिला खैरथल-तिजारा

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....

of...
.....

Before the ....

(First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

   ....
   ....
   ....

   (Supported by an affidavit)
7. Prayer:

   ....
   ....
   ....

Place:.................

Date:..................

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा